संख्या-921/2018/1000/22-2-2018-17(210)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 14 दिसम्बर, 2018***

विषय:-जिला कारागार, फैजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील कुमार पुत्र स्व0 रामाज्ञा, निवासी-जिला-अम्बेडकरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21771/प्रोबे0-5-दया0(बैठक-15-05-2018) दिनांक 14.06.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, फैजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील कुमार पुत्र स्व0 रामाज्ञा**,** जो- ग्राम-तिलकारपुर, थाना-हँसवर, जिला-अम्बेडकरनगर का रहने वाला है। बन्दी ने अवैध सम्बन्ध को लेकर दिनांक 20.06.2012 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर मिटटी का तेल डालके माचिस से आग लगाकर 01 महिला की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस0टी0न0 97/2012 धारा 302, आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, अम्बेडकरनगर के आदेश दिनांक 06.10.2016 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 20.09.2017 तक 05 वर्ष 02 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 05 वर्ष 04 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति आयु व जिला स्तरीय समिति द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सुनील कुमार (बन्दी संख्या-7892/2016) पुत्र स्व0 रामाज्ञा, निवासी-जिला-अम्बेडकरनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-921/2018/1000(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, फैजाबाद ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in